न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 32/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.प्रदीप पुत्र भेपारामजी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01.हरीराम पुत्र श्री सावलारामजी 02.रामस्वरूप पुत्र श्री राणाराम जी जातियान विश्नोइया निवासीगण गुलजी की प्याउ गाव गुडा विश्नोईयान सरदार समंद रोड तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम ।</u>

अधिवक्तागणः –

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा ।

02.अप्रार्थीगण की ओर से सूचना के बाजूद उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक :– 06/02/2023

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 560 कुल रकबा 69.14 बीधा आयी हुई स्थित हैं। प्रार्थी एव सहखातेदारो की सामलाती खातेदारी एवम्र स्वामित्व कब्जा काश्त की खातेदारी एव काश्तकारी की कृषि भूमि है जमाबन्दी की नकल साथ मे सलग्न है प्रार्थी की सामलात खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 560 ग्राम गुडा विश्नोईयान की सीमा है तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के पास अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 68/2 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय सरहद मौजा ग्राम खेजडली कला पटवार हल्का खेजडली कला तहसील लूणी मे आई हुई है। जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सख्या 1 व 2 है तथा माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ नकल जमाबंन्दी अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है कि अप्रार्थी सख्या 1 व 2 ग्राम खेजडली कला एव ग्राम गुडा विश्नोईयान की सीमा एव कणा मांठ को तोडते हुए प्रार्थी के खेत के अन्दर काफी हदो तक घुस आये है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार समझाईश की जा चुकी है तथा अपनी सीमाओ का भान भी करवाया गया लेकिन अप्रार्थी सख्या 1 व 2 अपीन हठधार्मिता पर अडे हुए है तथा वो मानने को तैयार नही है तथा प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि के हदो के अन्दर घुस गया है इस कारण से प्रार्थी निष्पक्ष तरीके से अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार लूणी जोधपुर का आदेश पारित किया जावे कि वो एक टीम गाठित कर मौके पर दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका देखा जाकर नाप कर दोनो गांवो की सीमा एव खेतो की सीमा के बीच पत्थर गडी की जावे। जिससे प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच मे सीमा को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो तथा प्रार्थी शाति पूर्वक तरीके से अपनी सीमाओ के अन्दर काश्त का सके। व खेत खसरा नम्बर 560 ग्राम गुडा विश्नोईयान एव खेत सख्या 68/2 ग्राम खेजडली कला जो दो गांवो की सीमा है तथा इसके बीच मे जो पुराने गांव की सीमा के पत्थर थे वो भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नें हटा दिये है इस कारण से निष्पक्ष तरीके से मौके पर नाप कर पत्थरगढी की टीम की उपस्थिति मे की जाना कानून एव न्याय संगत है अप्रार्थी सख्या 1 व 2 धनबल एव बाहुबल के चलते जबरन कानून को हाथ मे लेकर प्रार्थी को डराया एव धमकाया जा रहा है इस कारण से प्रार्थी को मजबूरान माननीय न्यायालय की शरण लेनी पडी है प्रार्थी माननीय न्यायालय से न्याय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

की गुहार करता है तथा मौके पर पत्थर गढी का आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश है प्रार्थी ने तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार के आदेश कमाक/भूअ/2020/4957 दिनांक 04.06.2020 की पालना मे दिनांक 11.06.2020 को सीमांकन किया गया तथा जिसकी रिपोर्ट इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है उक्त सीमांकन के बाद अब प्रार्थी मौके पर पत्थरगढी प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो और पत्थर गढी करवाना चाहता है इसलिये श्रीमानजी के समक्ष वास्ते पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो कि कार्यालय तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये कमांक/भू.अ./23/166 दिनांक 23.01.2023 के जरिये प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 560 कुल रकबा 69.14 बिस्वा कृषि भूमि के सहखातेदार की सामलाती खातेदारी एव स्वामित्व कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि हैं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2023 अनुसार पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लूणी में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 560 कुल रकबा 69.14 बिस्वा कृषि भूमि की मौका फर्द दिनांक 06.01.2023 के अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावे। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner